

सीएसएस के अवर सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

1.	नाम :	
2.	धारित वर्तमान पद:	
3.	जन्म तिथि	
4.	सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख :	
5.	सेवा में शामिल होने के समय आयु: वर्ष, माह, दिन	
6.	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख (एफआर 56(ट))	
7.	आज की तारीख तक की गई अर्हक सेवा: वर्ष, माह, दिन (सीएसएस (पेंशन नियमावली) का नियम 48 और 48क)	
8.	वह नियम जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिया गया (एफआर 56(ट); सीएसएस (पेंशन) नियमावली का नियम 48 और 48क को चिह्नित करें)	
9.	क्या ये नोटिस नियम के अंतर्गत आते हैं	
10.	वह तारीख जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिया गया है	
11.	क्या नोटिस की अवधि में कटौती करने का अनुरोध किया गया, यदि हां तो मांगी गई कटौती की अवधि	
12.	नोटिस अवधि में मांगी गई कटौती के कारण	

अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक:

संबंधित विभाग/मन्त्रालय के लिए		
13.	अधिकारी की सतर्कता संबंधी स्थिति: दोष रहित/दोष पूर्व	
14.	क्या निलंबित है	
15.	क्या वर्तमान में या पूर्ववर्ती एक वर्ष में: (i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत समनुदेशन पर रहे हैं (ii) मंत्रालयों/विभागों के विदेश स्थित कार्यालयों में विदेश में तैनात रहे हैं (iii) किसी विदेशी सरकार के किसी विशिष्ट अनुबंधित समनुदेशन पर रहे हैं	
16.	क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस नियम के अंतर्गत आते हैं तथा नियम दर्शाएं	
17.	(i) क्या नोटिस की अवधि में कटौती की सिफारिश की गई है या नहीं (ii) उपर्युक्त (i) के कारण	
18.	क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव सचिव द्वारा अनुमोदित है	
19.	टिप्पणी, यदि कोई हो	
20.	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं: (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एवीडी.। द्वारा दी गई सतर्कता निकासी, और (ii) प्रस्ताव के लिए विभाग के सचिव के अनुमोदन की प्रति	

(हस्ताक्षर)*

नाम: :
पदनाम एवं मुहर :
दिनांक:.

* (इस पर उस मंत्रालय/विभाग/संगठन में प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जहां अधिकारी कार्यरत है)